दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि : 10 अप्रैल, 2023

रि.या.(सि) 4347/2023 व सि.वि.आवे.16691/2023,16692/2023

संत कुमार यादव .... याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री कौशल यादव, अधिवक्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य .... प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री कमल कांत झा, वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता व श्री मीमांसक भारद्वाज, भारत संघ हेतु सरकारी अधिवक्ता

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

<u>निर्णय</u> (*मौखिक*)

1. वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता निम्नलिखित अनुतोषों की मांग कर रहा है:

(क) "प्रत्यर्थीगण को 810 दिनों के लिए अर्थात् 03.03.1986 से 31.05.2006 तक प्रति वर्ष 40 दिनों के हिसाब से नकदीकृत अर्जित अवकाश, याचिकाकर्ता संख्या 3 के पत्र दिनांकित 15.05.1985 के अनुसार राशन राशि, प्रत्यर्थीगण के पत्र दिनांकित 24.07.2020 को ध्यान में रखते हुए वस्त्र भत्तों तथा अविवाहित आवास भत्तों जो कि याचिकाकर्ता के मामले में लागू हो के साथ दिनांक 23.08.2010 से 24% प्रतिवर्ष की ब्याज दर के साथ अर्थात पिछले वेतन सह विद्वान सिविल न्यायाधीश के सभी परिणामी लाभों के साथ याचिकाकर्ता के वाद में पारित पुनःस्थापन के आदेश के अधीन वास्तविक प्राप्ति तक उक्त शीर्षकों के अंतर्गत स्वीकृत देय राशियों का भुगतान करने का निर्देश देते हुए उपयुक्त रिट, परमादेश की प्रकृति के आदेश या निर्देश जारी किया जाए;

(ख) प्रत्यर्थीगण को जनवरी, 1986 से लेकर 31.05.12006 तक वार्षिक आधार पर अंतिम बार लिए गए वेतन और भत्तों के आधार पर की गई कटौतियों की पुनर्गणना करने हेतु निर्देशित

करने के लिए परमादेश की प्रकृति की उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान याचिका को याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन समझा जाए।

3. तदनुसार, वर्तमान याचिका में किए गए प्रकथनों के साथ-साथ याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, हम प्रत्यर्थीगण को याची की वर्तमान याचिका को अभ्यावेदन के रूप में स्वीकृत करने तथा आज से आठ सप्ताह के भीतर इसको निर्णित करने का निर्देश देते हुए वर्तमान याचिका का निपटान करते हैं।

4. इस प्रकार, लिए गए निर्णय के बारे में याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर एक तर्कसंगत आदेश के साथ सूचित किया जाए।

5. तदनुसार, लंबित आवेदनों के साथ वर्तमान याचिका का निपटान किया जाता है।

6. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता अभी भी प्रत्यर्थीगण के निर्णय से व्यथित है, तो वह उचित न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती दे सकता है।

(सुरेश कुमार कैत)
न्यायाधीश

(नीना बंसल कृष्णा)
न्यायाधीश

10 अप्रैल, 2023
एस.शर्मा

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*